(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 413/2020

बउनवान

1. शांतिबाई पत्नी श्रीलाल जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी कैथूनीपोल जिला कोटा
2. सतीश पुत्र श्रीलाल जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी कैथूनीपोल जिला कोटा
3. हेमलता पुत्री श्रीलाल पत्नी घनश्याम जाति गुर्जर निवासी जांचरोडा तह. छबड़ा जिला बारॉं

(अपीलांटगण)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कान्हा जाति गुर्जर निवासी मोतीपुराखुर्द खेड़ला जागीर तह. छीपाबड़ौद
2. चुन्नीबाई पत्नी कान्हा जाति गुर्जर निवासी मोतीपुराखुर्द खेड़ला जागीर तह. छीपाबड़ौद
3. कविता पुत्री रमेश पत्नी गौरीलाल जाति गुर्जर निवासी पीपलियाघाटा तह. छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नं0 5 दिनांक 30.08.2003 ग्राम मोतीपुरा तहसील छीपाबड़ौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री ओमप्रकाश मेहता अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री ललित नागर अभिभाषक (रेस्पो. क्र.1 व 2)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 3)

निर्णय दिनांक 13.09.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 5 दिनांक 30.08.2003 ग्राम मोतीपुरा तहसील छीपाबड़ौद से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 23.12.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया, जो अप्राप्त है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की सत्य प्रतिलिपि को हीं आधार मानकर प्रकरण में सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan
Date: 2022.03.14 15:28:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तकरण सं. 5 हल्का पटवारी खेड़ला जागीर द्वारा दिनांक 05.07.2003 को खोला गया जिस पर आई.ऐल. रिपोर्ट दिनांक 30.08.2003 के आधार पर तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा दि. 30.08.2003 को हीं नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो निरस्तनीय है। हल्का पटवारी खेड़ला जागीर द्वारा मृतक कान्हा पुत्र गोमदा का फौती नामान्तकरण सं. 5 में जो सजरा दिया गया है, वह मिथ्या है। दिए गए सजरा में केवल मृतक कान्हा की एक हीं पत्नी चुन्नीबाई बताई गई है तथा उसका भी देहान्त होना अंकित किया गया

है जबकि चुन्नीबाई आज भी मौजूद है जिसके दो पुत्र है। जबकि नामान्तकरण के समय व आज दिनांक तक चुन्नीबाई मौजूद है जिसे सजरे में पूर्व मे हीं फौत होना अंकित किया गया है तथा मृतक कान्हा की शादीशुदा पत्नी हरकूबाई का कोई जिक्र नहीं किया गया और न हीं हरकूबाई के पुत्र श्रीलाल को सजरे में अंकित किया है। श्रीलाल का देहान्त दिनांक 27.06.2018 को हो चुका है। अपीलांटगण मृतक के वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान है। मृतक कान्हा अपनी पत्नी हरकूबाई के पुत्र श्रीलाल को अपना 1/2 हिस्सा व नातेशुदा पत्नी चुन्नीबाई व उसके दोनों पुत्रों को 1/2 हिस्सा दिया जाकर भ्रमित बंटवारा कर दिया गया था। उसी अनुसार मृतक अपने जीवनकाल तथा देहान्त के बाद अपीलांटगण अपने हिस्से की काश्त व्यवस्था करवाते रहें किन्तु इस वर्ष रेस्पो. क्रम 1 द्वारा संपूर्ण आराजी अपने अधिकार में ले ली गई। तब अपीलांटगण द्वारा अपने हिस्से की काश्त व्यवस्था करवाते समय उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होना बताया गया।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल क्रमांक 5 दिनांक 30.08.2003 ग्राम मोतीपुराखुर्द तहसील छीपाबड़ौद निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद को प्रतिप्रेषित किया जावें कि अपीलांटगण को विधिवत् सुनवाई व अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि ग्राम मोतीपुरा के इंतकाल नं0 5 दिनांक 30.08.2003 को खोले जाते समय रेस्पोडेन्ट क्रम 2 चुन्नीबाई पुत्री कान्हा गुर्जर को फौत होना दर्शाया गया है। जबकि इसी अपील में रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा उसका वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। चुन्नीबाई वर्तमान में जीवित है। प्रकरण में अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा वाके ग्राम मोतीपुरा का खोला गया इंतकाल नं0 5 दिनांक 30.08.2003 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक वारिसान की जाँच करवाई जावें, पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई व अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से इंतकाल खोला जावें।

निर्णय आज दिनांक **13.09.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested